राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/335

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	157/24 157/24	23/05/24	[signature] 10/6/24	6/6/24

अनवान

श्री दुर्गाशंकर पुत्र रामलाल मेहर | श्री कैलाश पुत्र मांगीलाल धाकड़

निवासी बिजोलिया कलां | निवासी फतेहनगर वगैरहा - 07

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट | अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार | मदयून

श्री रामफुल धाकड़ | श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: दुर्गाशंकर बनाम कैलाश

किस्म मुकदमा 111 - 128 नम्बर 157 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23 05 2024	प्रार्थना पत्र सीधे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 06 / 06 / 2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते 3. आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी तामील प्राप्त।	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 157/24 तारीख 23/5/24

दुर्गाशंकर पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगनलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. देवेन्द्र पुत्र घीसीलाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज.)
05. नन्दकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज.)
06. उपरमाल धाकड़ समाज पंचायत बिजौलियां जरिये अध्यक्ष मांगीलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 10/6/24

प्रार्थना पत्र में मोहनलाल पुत्र छितर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 189 पर अंकित आराजी संख्या 665 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, आराजी संख्या 665/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 667 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, आराजी संख्या 668 रकबा 0.1133 कुल किता 04 रकबा 1.1250 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 189 पर अंकित आराजी संख्या 665 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, आराजी संख्या 665/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 667 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, आराजी संख्या 668 रकबा 0.1133 कुल किता 04 रकबा 1.1250 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

ालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

ण संख्या – 157/24 तारीख 23/5/24

ति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......157........./ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

ुर्गाशंकर पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगनलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. देवेन्द्र पुत्र घीसीलाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज.)
05. नन्दकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज.)
06. उपरमाल धाकड़ समाज पंचायत बिजौलियां जरिये अध्यक्ष मांगीलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड़ निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित खाता संख्या 189 पर अंकित आराजी संख्या 665 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, आराजी संख्या 665/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर आराजी संख्या 667 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, आराजी संख्या 668 रकबा 0.1133 कुल किता 04 रकबा 1.1250 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)